उप जिला कलेक्टर बनाम गंगापुर सिटी

मुकदमा रहमत नं०......36...... मजीद वगैरह..............
2015

दावा 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	24.4.2015 यह दावा वादिया रहमत बेवा कमरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी अलीगंज तहसील गंगापुर सिटी की ओर से श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट ने हमारे समक्ष पेश किया। वादिया के वकील को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिए नोटिस की जावे। पत्रावली दिनांक 22.05.2015 को पेश हो।	
22-5-15	पत्रावली पेश हुई/उपस्थित वादी/~~वकील~~ ~~प्रतिवादी~~ उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब दौरे पर है। अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली दि० 24.7.15 को पेश हो। रीडर	24.7.15 15.6.15
	23-6-2015 पत्रावली आज लोक अदालत में कैम्प अहमदपुर पर पेश हुई। वादिया एवं प्रतिवादीगण उपस्थित हैं। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख० नं० $\frac{86}{0.76}$, $\frac{461/185}{0.28}$ ग्राम अलीगंज की नाप एक टीम बनाकर करवा दी जावे। नाप में यदि वादिया की जमीन प्रतिवादीगण के निकलती है तो प्रतिवादीगण वादिया को जमीन वापिस दे देंगे तथा प्रतिवादीगण वादिया को उपरोक्त भूमि के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। पक्षकारों को सुना गया। प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वाद डिक्री किया जाता है। नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी की अध्यक्षता में एक टीम बनाकर भूमि ख० नं०	मजीद बाबू नि० नि० फूल्या नि० रहमत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	$\frac{86}{0.76}$, $\frac{461/185}{0.28}$ ग्राम अलीगंज की नाप कराने हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (रवि कुमार शर्मा) एवं सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) अहमदपुर

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. रहमत बेवा कमरूद्दीन, मुसलमान निवासी अलीगंज तहसील गंगापुर सिटी ---वादिया

बनाम

1. मजीद पुत्र अजीज, मुसलमान निवासी अलीगंज तहसील गंगापुर सिटी
2. फूल्या पुत्र अजीज, मुसलमान निवासी अलीगंज तहसील गंगापुर सिटी
3. सुआ पुत्र नबाब, मुसलमान निवासी अलीगंज तहसील गंगापुर सिटी
4. बाबू पुत्र नबाब, मुसलमान निवासी अलीगंज तहसील गंगापुर सिटी ---प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 36/2015

वादी की ओर से वादिया रहमत की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी मजीद, फूल्या, सुआ, बाबू की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 23.6.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार भूमि ख0नं0 86 रकबा 76 एयर, 461/185 रकबा 28 एयरं ग्राम अलीगंज की नाप नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी की अध्यक्षता में एक टीम बनाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी करवायेंगे। नाप में यदि वादिया की जमीन प्रतिवादीगण के निकलती है तो प्रतिवादीगण वादिया को जमीन वापिस दे देगें एवं उपरोक्त भूमि के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण वादिया को बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 23.6.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	